BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1285/2024

IN THE MATTER OF:

SMT. NEELAM & ANR. …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 13.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 08.01.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE LETTERS DT. 25.02.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-2	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

COUNSEL UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 03.03.2025

PLACE: Jhansi

NOTARY ★ Prakash Narain Dwiyedi H.Q.-JHANSI R. No. 47 (3) 82 Validity 07/11/25 ★ GOVT. OF U.P. (INDIA)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1285/2024

IN THE MATTER OF:

SMT. NEELAM & ANR. …………APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ……..RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 13.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Imraan Ali aged about 45 years S/o Mr. Usman Ali R/o Mohalla- Qaboolpura, Tehsil-Sadar, District-Badaun, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Jhansi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of the reply have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed thereform.

NOTARY ★ Prakash Narain Dwiyedi ★ H.Q.-JHANSI R. No. 47 (3) 82 Validity 07/11/25 GOVT. OF U.P. (INDIA)

3. That in the present matter, the Applicant has raised the plea that Araji No. 772, 773, 757, 756, 755, etc., were reserved for the park in the Jhansi Master Plan, 2001 and the area was maintained the same in the Jhansi Master Plan of 2021 and 2031. The Applicant alleges that though this area falls within the submergence area of Pahuj River, the Jhansi Smart City Limited, in collusion with the Jhansi Development Authority and the Municipal Corporation Officers, is going to construct a four storey building zone along with several residential, non-residential and commercial illegal buildings.

4. That the matter was last listed for hearing on 13.11.2024, wherein the Hon'ble Tribunal directed the respondents to file their replies.

5. That in compliance of the aforementioned order, the reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is filed as under.

6. That it is pertinent to submit that the Uttar Pradesh Pollution Control Board has written a letter dt. 08.01.2025 to the Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi and Additional District Magistrate (Land Revenue), District Jhansi. That vide the said letter, the following information was requested:
    - Records related to land use/ownership of Khasra Nos. 772, 773, 757, 756, 755, etc., in Mauja Laharigird, District Jhansi.
    - Status of the approved constructions on the aforementioned Khasra numbers as per the Jhansi Master Plans of 2001, 2021, and 2031.
    - Name and address of the authorized executing agency for the residential/commercial projects constructed on the mentioned Khasra numbers.

NOTARY
Prakash Narain Dwivedi
H.Q.-JHANSI
R.No. 47 (3) 82
Validity 07/1/25
GOVT. OF U.P. (INDIA)

A Copy of the letter dt. 08.01.2025 has been attached herewith as **ANNEXURE A-1.**

7. That as no response to the letter dt. 08.01.2025 was provided by the concerned authorities, the UPPCB was compelled to write another reminder letter dt. 25.02.2025 to the Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi and Additional District Magistrate, Jhansi. That the said reminder reiterated the urgency of the matter and emphasized the necessity of requirement of the documents and information related to the land use, ownership records, and construction status of specific Khasra numbers in Mauja Laharigird, Jhansi.

   A Copy of the letter dt. 25.02.2025 has been attached herewith as **ANNEXURE A-2.**

8. That it is pertinent to mention that response from Jhansi Development Authority, Jhansi and Additional District Magistrate, Jhansi with respect to the aforementioned letters is still awaited.

9. Hence, the present reply is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY
Prakash Narain Dwivedi
H.Q.-JHANSI
R.No. 47 (3) 82
Validity-9/11/25
GOVT. OF U.P. (INDIA)

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Jhansi on this 28th day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Prakash Narain Dwivedi
H.Q.-JHANSI
R.No. 47 (3) 82
Validity-07/1/25
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Serial No. 30/ Date 28.2.25
...tified that the foregoing statement sworn before me this day at ...
by shri/smt./kum. Imran Ali
whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by shri...
Received the legal fee Rs. 35-00 Cash

PRAKASH NARAIN DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI DISTRICT 28.2.25

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref.No. 673/OA-1285/NGT/25 — दिनांक / Date 08.01.2025

1.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकारण
झांसी।

2. अपर जिलाधिकारी (भू राजस्व)
जनपद–झांसी।

विषय : **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–1285/2024 श्रीमती नीलम बनाम अन्य मे पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–1285/2024 श्रीमती नीलम बनाम अन्य में आच्छादित शिकायती प्रकरण का मुख्य अंश निम्नवत् है–

"झांसी शहर में स्थित "पहुज नदी" के निकट मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 772, 773, 757, 756, 755, आदि को वर्ष 1979 में बनायी गयी झांसी महायोजना–2021 में क्षेत्रीय पार्क विकसित करने हेतु आरक्षित किया गया। उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र में झांसी स्माट सिटी लिमिटेड द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से "चार मंजिला वेंडिंग जोन" सहित कई आवासीय एवं गैर आवासीय और व्यवसायिक अवैध निर्माण किये जा रहे है।

उपरोक्त प्रकरण में उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिवादी संख्या 02 है एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में राज्य बोर्ड स्तर से रिस्पांस दाखिल किये जाने हेतु निम्न सूचनायें प्राप्त होना आवश्यक है–

1. जनपद–झांसी के मौजा–लहरगिर्द के आराजी संख्या 772, 773, 757, 756, 755 आदि का भूमि प्रयोज्य/स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।
2. झांसी महायोजना 2001, 2021 एवं महायोजना 2031 तथा उक्त वर्णित आराजी संख्या पर अद्यतन निर्माण सम्बन्धी वस्तु स्थिति।
3. उक्त वर्णित आराजी संख्या पर निर्मित आवासीय/व्यवसायिक परियोजना हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था का नाम एवं पता सम्बन्धी सूचना।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर वंछित सूचनाओ/अभिलेख प्रेषित किए जाने हेतु तत् सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे जिससे पूर्ण सूचनाओं के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में राज्य बोर्ड का पक्ष दाखिल किया जा सके।

भवदीय

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, वैज्ञानिक सहायक को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित विभागीयें अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर विलम्बतम 07 दिवस के अंतर्गत सूचना संकलित कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref. No. 787/OA-1285/NGT/25

दिनांक / Date 25.02.2025

अनुस्मारक–प्रथम

सेवा में,

1.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकारण
झांसी।

2. अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
जनपद–झांसी।

विषय : **मानतीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–1285 / 2024 श्रीमती नीलम बनाम अन्य मे पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 673 / ओ0ए0–1285 / एन0जी0टी0 / 25 दिनांक 08.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–1285 / 2024 श्रीमती नीलम बनाम अन्य में आच्छादित शिकायती प्रकरण का मुख्य अंश निम्नवत् है–

"झांसी शहर में स्थित "पहुज नदी" के निकट मौजा लहरगिर्द के आराजी संख्या 772, 773, 757, 756, 755, आदि को वर्ष 1979 में बनायी गयी झांसी महायोजना–2021 में क्षेत्रीय पार्क विकसित करने हेतु आरक्षित किया गया। उक्त क्षेत्रीय पार्क और "पहुज नदी" के डूब क्षेत्र में झांसी स्माट सिटी लिमिटेड द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से "चार मंजिला वेंडिंग जोन" सहित कई आवासीय एवं गैर आवासीय और व्यवसायिक अवैध निर्माण किये जा रहे है।

उपरोक्त प्रकरण में उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिवादी संख्या 02 है एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में राज्य बोर्ड स्तर से रिस्पांस दाखिल किये जाने हेतु निम्न सूचनायें प्राप्त होना आवश्यक है–

1. जनपद–झांसी के मौजा–लहरगिर्द के आराजी संख्या 772, 773, 757, 756, 755 आदि का भूमि प्रयोज्य / स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।
2. झांसी महायोजना 2001, 2021 एवं महायोजना 2031 तथा उक्त वर्णित आराजी संख्या पर अद्यतन निर्माण सम्बन्धी वस्तु स्थिति।
3. उक्त वर्णित आराजी संख्या पर निर्मित आवासीय / व्यवसायिक परियोजना हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था का नाम एवं पता सम्बन्धी सूचना।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर वंछित सूचनाओ / अभिलेख प्रेषित किए जाने हेतु तत् सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे जिससे पूर्ण सूचनाओं के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में राज्य बोर्ड का पक्ष दाखिल किया जा सके। प्रकरण में सनुवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक 05.03.2025 नियत है। अतः आपका विशेषध्यान्कर्षण अपेक्षित है

भवदीय,

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी. (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी